73 20 सरकार द्वारा अनुमोदित पुनरूद्धार पैकज के अंतर्गत रूग्ण/घाटे में चल रहे केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में मुख्य कार्यकारी अधिकारियों तथा कार्यात्मक निदेशकों की नियुक्ति।

राष्ट्रीय न्यूनतम साझा कार्यक्रम (एनसीएमपी) अन्य बातों के साथ–साथ यह उल्लेख करता है कि सार्वजनिक क्षेत्र के रूग्ण कम्पनियों को आधुनिक एवं पुनर्गठन करने तथा रूग्ण उद्योग का पुनरूद्धार करने का सभी प्रयास किए जाएंगे। सरकार ने केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के पुनर्गठन से संबंधित पहलू एवं इस प्रकार के रूग्ण उद्यमों के पुनरूद्धार के लिए अर्थोपाय के साथ–साथ इनके लिए सशक्त एवं प्रभावी उच्च प्रबंधन टीम उपलब्ध कराने पर विचार किया। इस संदर्भ में यह महसूस किया गया कि केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के रूग्ण उद्यमों के कायापलट करने योग्य कार्यकारी अधिकारियों को आकर्षित करने और पुनरूद्धार पैकेज की सफलता के लिए उनके कार्यकाल को निरन्तरता देने की आवश्यकता है।

2. सरकार ने इस विषय पर विचार किया और सक्षम प्राधिकारी ने यह निर्णय किया कि रूग्ण/घाटे में चल रहे केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों जिनके लिए सरकार द्वारा पुनरूद्धार पैकज अनुमोदित किया गया है, उनके लिए निम्नलिखित छूट दिया जाएगाः–

(i) यदि उस प्रकार के केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम का कोई बोर्ड स्तरीय पदधारी रूग्ण केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम के कायापलट में बहुत ही अच्छा योगदान दिया है तो उनका कार्यकाल उनकी 65 वर्ष की आयु तक बढ़ाया जा सकता है। चूंकि लोक उद्यम चयन बोर्ड द्वारा बोर्ड स्तरीय पदों की चयन प्रक्रिया पदधारी की सेवानिवृत्ति से एक वर्ष पूर्व प्रारम्भ की जा रही है, अतः पदधारी की सेवानिवृत्ति से एक वर्ष पूर्व कार्यकाल में विस्तार का प्रस्ताव प्रारम्भ करना होगा। सरकार द्वारा पुनरूद्धार पैकज अनुमोदित करते समय यदि पदधारी का शेष कार्यकाल एक वर्ष से कम हो तो सरकार द्वारा पुनरूद्धार पैकज अनुमोदित करने के तुरन्त बाद इस प्रकार का कार्यकाल विस्तार प्रस्ताव प्रारम्भ करना चाहिए। सामान्य सेवानिवृत्ति आयु के बाद भी कार्यकाल विस्तार संबंधी निर्णय बोर्ड स्तरीय कार्यकारी अधिकारियों के कार्यकाल विस्तार हेतु मौजूदा प्रक्रिया के अनुसार लिया जाएगा अर्थात लोक उद्यम चयन बोर्ड द्वारा संयुक्त मूल्यांकन तत्पश्चात सक्षम प्राधिकारी का अनुमोदन। इस प्रकार के कार्यकाल विस्तार संबंधित मंत्रालय के सचिव द्वारा पदधारी के कार्य–निष्पादन की वार्षिक समीक्षा के अधीन होगा।

(i) जहां मुख्य कार्यकारी अधिकारी या किसी कार्यात्मक निदेशक की नई नियुक्ति का प्रस्ताव है और यदि लोक उद्यम चयन बोर्ड की रिक्त पद की परिचालन पद्धति से सक्षम प्राधिकारी द्वारा विचारार्थ कोई पैनल नहीं बन पाया तो तीन वर्षों के न्यूनतम कार्यकाल के साथ आवेदन करने के लिए कट ऑफ आयु में 62 वर्षों तक की छूट पर विचार किया जा सकता है। ऐसे मामलों में केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम के सेवारत/सेवानिवृत्त कार्यकारी अधिकारियों, सरकारी कार्मिक तथा निजी क्षेत्र के कार्यकारी अधिकारियों पर भी विचार किया जा सकता है।

(ii) इन केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के मुख्य कार्यकारी अधिकारी तथा कार्यात्मक निदेशकों को पद से जुड़े प्रचलित वेतन, भत्तों तथा अनुलाभों के अलावा केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम के लाभ में से अधिकतम रु. 10 लाख तक के एकमुश्त प्रोत्साहन राशि के लिए विचार किया जाएगा। इस विषय पर विस्तृत दिशा–निर्देश अलग से जारी किया जाएगा।

3. यह दोहराया जाता है कि केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों तथा कार्यात्मक निदेशकों की चयन प्रक्रिया, नियुक्ति तथा कार्यकाल विस्तार के संदर्भ में ऊपर पैरा 2 (i) तथा 2 (ii) में उल्लेखित छूट के मामलों को छोड़कर शेष मामलों में मौजूदा दिशा–निर्देश और पद्धति जारी रहेगा।

4. सभी प्रशासनिक मंत्रालयों एवं विभागों से अनुरोध है कि ऊपर दिए गए निर्णय का संज्ञान लें।

(डीपीई का. ज्ञा. सं. 18(11)/2005–जीएम–जीएल–88 दिनांक 24 जुलाई, 2007)

*****